

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक : 03/सू०प्रा०(ले०)-10/2015-1402

पटना, दिनांक : 16.07.2026

सेवा में,

18296

21/7/26

महालेखाकार

वीरचन्द पटेल पथ,

बिहार, पटना।

21 JUL 2026

विषय :-

माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष, संलग्न कक्ष एवं कोषांग की मरम्मत हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु 28,62,900.00 (अट्ठाईस लाख बासठ हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :-

स्वीकृत।

माननीय मंत्री से प्राप्त निदेश के आलोक में टेक्नोलॉजी भवन के द्वितीय तल पर अवस्थित माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय कक्ष, संलग्न कक्ष एवं कोषांग की मरम्मत कार्य कराया जाना है।

2. विभागीय पत्रांक-835 दिनांक-19.05.2026 के द्वारा माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय कक्ष, संलग्न कक्ष एवं कोषांग की मरम्मत कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल-1, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया।

3. उक्त विभागीय पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, केन्द्रीय भवन प्रमण्डल संख्या-1, पटना के पत्रांक-2099 (अनु०) दिनांक-18.06.2026 के द्वारा Renovation of Minister Chamber, Ante Room, Visitor's Room and Entrance of Information Technology Department at 2nd Floor Technology Bhawan, Patna for the year 2026-27 का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की कुल राशि रु 28,62,900.00 (अट्ठाईस लाख बासठ हजार नौ सौ) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं निधि उपलब्ध कराने हेतु समर्पित है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु में)
1	Renovation of Minister Chamber, Ante Room, Visitor's Room and Entrance of Information Technology Department at 2nd Floor Technology Bhawan, Patna for the year 2026-27	28,62,900.00

रु (अट्ठाईस लाख बासठ हजार नौ सौ) मात्र

4. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष, संलग्न कक्ष एवं कोषांग की मरम्मत हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु 28,62,900.00 (अट्ठाईस लाख बासठ हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदान की जाती है।

5. उक्त योजना का क्रियान्वयन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा किया जाएगा।

6. उक्त राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग के द्वारा मांग सं०-03 के मुख्य शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0122-आई०टी० भवन, विपत्र कोड-03-4059800510122, विषय शीर्ष-0122.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय निर्माण भवन कोषागार से की जाएगी।

8. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 एवं 12888 दिनांक 03.12.2024 के प्रावधानानुसार उक्त योजना पर विभागीय सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के पत्रांक-टी०एम०-1-प्रा०प०-516 दिनांक-30.03.2001 के आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-एम०-4-82/2001/41 वि० (2) दिनांक-03.01.2002 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अंजन कुमार गुप्ता)

अवर सचिव

पटना, दिनांक :

ज्ञापांक : 03/सू०प्रा०(ले०)-10/2015.....

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, पटना निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अवर सचिव

पटना, दिनांक : 16.07.2026

ज्ञापांक : 03/सू०प्रा०(ले०)-10/2015.1402.

प्रतिलिपि : सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग/अभियन्ता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2026/16/26
अवर सचिव